न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 03/2022 (निगरानी पंचायत)
GCMS No : 2022/28

अनवान

1. पंचायत समिति नयागांव जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नयागांव, जिला–उदयपुर ।

–निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1. सुश्री प्रियंका कुमारी पिता सोमाराम पारगी जाति मीणा, निवासी–गांव छाणी, नयागांव तहसील खेरवाड़ा, पंचायत समिति नयागांव, जिला–उदयपुर
2. ग्राम पंचायत–छाणी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत–छाणी, पंचायत समिति–नयागांव, जिला–उदयपुर
3. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री सत्यप्रकाश व्यास अधिवक्ता वि.स. 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत छाणी के पट्टा संख्या 4063 आदेश दिनांक 05.01.2021

* निर्णय *

दिनांक– 14-06-2024

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की मय धारा 5 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत छाणी, पंचायत समिति नयागांव द्वारा दिनांक 21.02.2021 को राजस्व ग्राम छाणी की आराजी संख्या 305 में विपक्षी संख्या 1 सुश्री प्रियंका पिता सोमाराम पारगी जाति मीणा निवासी छाणी नयागांव को राशि 27,000/– अक्षरे सताईस हजार रूपया में आबादी भूमि का विक्रय नामा ग्राम पंचायत छाणी विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने संकल्प सख्या 11 दिनांक 05.01.2021 के अनुसरण में दिनांक 05.01.2021 को निष्पादित किया गया। ग्राम पंचायत छाणी के द्वारा निष्पादित उक्त पट्टा विलेख विधि के अग्रेषण में धारण योग्य नहीं है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित आबादी भूमि का विक्रय नामा में जिस भूमि का विक्रय नामा निष्पादित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

किया गया है उक्त भूमि का आराजी नम्बर उक्त विक्रय नामा में अंकित नहीं किया गया है, न ही विक्रित भूखण्ड का क्रमांक ही अंकित किया गया हैं विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जिस आबादी भूमि का विक्रय नामा निष्पादित किया गया उक्त भूमि विक्रय नामा निष्पादित करने की दिनांक को राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 305/309 आबादी में दर्ज नहीं होने के कारण एवं विपक्षी संख्या 2 के खाते में नहीं होने के कारण पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के नियम 140 से 156 की पालना पूर्ण नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित आबादी भूमि का विक्रय नामा नियम विरूद्ध है। विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत छाणी द्वारा जारी किये गये पट्टे के सम्बन्ध में कार्यालय जिला परिषद उदयपुर द्वारा जांच कराई जाने पर एवं इस कार्यालय पंचायत समिति नयागांव से उक्त भूखण्ड बाबत् रिकार्ड की जांच में विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 द्वारा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत के खाते में नहीं होने के बावजूद भी बिना किसी विधिक अधिकारिता के बिना भूखण्ड संख्या एवं बिना आराजी संख्या का आबादी भूमि का विक्रय नामा निष्पादित किया गया। इस संबन्ध में संधारित पत्रावलियों का सार्थक अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि इन पट्टो के संबंध में जो पत्रावलियां संधारित की गई है उन पत्रावलियों पर जो दर्ज क्रमांक अंकित है व सम्यक नहीं है न पंजीयन क्रमांक विधिवत रूप से अंकित है और न ही पट्टा जारी करने के संबध में कोरम की बैठक तथा कौरम में उपस्थित सदस्यों एवं अन्य औपचारिक हस्ताक्षर ही है जो पट्टा जारी करने की कार्यवाही को प्रकियाविहिन होना सिद्ध करता है एवं उक्त पट्टे विधि सम्मत नहीं है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त पट्टा 100 रूपये से अधिक राशि लेकर जारी किए गए है एवं स्वंय की भूमि होना बताते हुए जारी किऐ गए है जो न तो तथ्यों और न ही विधि से स्पष्ट होता है एवं उक्त पट्टे निरस्त किए जाने योग्य है। प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस दिनांक को उक्त भूमि का पट्टा जारी किया जाना निश्चित किया गया था उस दिनांक को वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विपक्षी के नाम दर्ज नहीं थी एंव ऐसे में इस पत्रावली के तहत पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है एवं आलोच्य पट्टा खारीज किया जाना आवश्यक है। श्रीमती कालीदेवी ने सोमाराम मीणा के परिवार का सदस्य होना आवेदन में अंकित किया है तथा स्वंय कब्जाशुदा मकान होना बताया है तथा उसमें 4575 वर्गफीट के पट्टे प्राप्त किय है जबकि विधि अनुसार इस क्षैत्रफल का पट्टा जारी नहीं कराया जा सकता हैं इस आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में श्रीमती कालीदेवी ने अंकित किया है कि उसके एवं उसके परिवार के पास कोई अन्य भूखण्ड नहीं है जबकि इसी परिवार के व्यक्ति श्री सोमाराम को इसी दिनांक को मिसल संख्या 12 के जरिये पटटा जारी हुआ है। मरियम जो कि इसी परिवार की सदस्य है को भी इसी दिनांक को आराजी संख्या 669 में पट्टा संख्या 13 जारी हुआ है। कालीदेवी को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

मिसल संख्या 3 के मार्फत पट्टा जारी हुआ है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि जो आदेशिका पट्टा जारी करने के संबंध में संचालित की गयी है वहां प्रत्येक आदेशिका के अन्त में कोई हस्ताक्षर नहीं है वरन भिन्न भिन्न दिनांको की आदेशिकाओं को एक ही साथ एक ही कागज पर निकाल कर अन्त में हस्ताक्षर कर इसे एक सद्भाविक रूप से की गयी कार्यवाही का स्परूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है जबकि अंकन स्वंय को संदेहास्पद प्रकट करता है तथा बन्द कमरे में एक ही दिन में षडयंत्रपूर्वक की गयी कार्यवाही को पुष्ट करता है तथा आलोच्य पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। उक्त सभी भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवस्थित है जो कि पट्टा में वर्णित पडोसो से पुष्ट होता है जबकि राजमार्ग के पास किसी भी स्थिति में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये भूमियां रिजर्व प्रकृति की है तथा इन्हे पट्टे हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर आराजी संख्या 305/309 राजस्व ग्राम छाणी में स्थित विपक्षी कमांक 2 द्वारा विपक्षी कमांक 1 के नाम आंवटित भूखण्ड (संकल्प संख्या 11/2021) के आबादी भूमि का विक्रय नामा को निरस्त फरमाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक एवं उचित हो निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि धारा 97 रा.प.राज अधिनियम 1996 में केवल हितबद्ध पक्षकार ही निगरानी पेश कर सकता हैं। पट्टा जारी करने का आदेश विधि के अग्रेषण में होकर सुसंस्थापित प्रक्रिया के तहत ही किया गया है। विपक्षी को पट्टा आराजी संख्या 305 में किया गया हैं ये आराजी नम्बर 305/309 को लेकर खडा किया गया विवाद मिथ्या और भ्रामक है। आराजी नम्बर 305 और 309 संवत् 2075–78 की जमाबन्दी के खाता नम्बर 317 नया और 302 पुराना में विपक्षी संख्या 2 के खाते में बतौर आबादी दर्ज है। विपक्षी संख्या को पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया गया है। जिसका प्रार्थी ने कोई उल्लेख नहीं किया है। जिला परिषद को कोई जांच करने का अधिकार नहीं है अगर है तो विपक्षी संख्या 1 को सुने बिना की गई जांच प्राकृतिक न्याय के विपरीत और अवैध हैं पट्टा जारी करने की पत्रावली विधिवत संधारित होकर सभी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। सारा गांव जानता है कि विपक्षी संख्या 1 इस भूमि पर अपने बाप–दादाओ के समय से बने मकान में रहती आयी है इस कारण उसे पट्टा प्राप्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

करने में किसी विरोध का सामना नहीं करना पडा। वस्तुस्थिति को अनदेखा करके निगरानीकर्ता ने निराधार कमियां निकाल कर विपक्षिया के पट्टा को विवादित करने का प्रयास किया है जबकि सारा मामला एकदम से पाक साफ और नियमानुकूल है। दिनांक 05.01.2021 को जारी पट्टा की कन्फर्मेशन डीड का विधिवत पंजीयन उप पंजीयक खेरवाडा के कार्यालय में दिनांक 11.05.2021 को हो चुका है। इसमें भूमि पंचायत की आराजी नम्बर 309 में स्थित होना अंकित है। बाद में पंचायत को अपनी चूक का ध्यान आने पर दिनांक 19.08.2021 को एक शुद्धिपत्र का पंजीयन करके पट्टाशुदा भूखण्ड को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि आराजी नम्बर 305 में स्थित होना माना गया है। कन्फर्मेशन डीड और शुद्धि–पत्र अवलोकन हेतु संलग्न है। निगरानीकर्ता ने हस्तगत प्रकरण से भिन्न अन्य पट्टाधारी और भूमि का उल्लेख किया है वे विपक्षी संख्या 1 के माता–पिता है जिन्होने उनके पैतृक मकान का पट्टा प्राप्त करने की उसे छूट दी है। प्रार्थीया विवाहित होकर अपने माता–पिता के साथ नहीं रहती और उसके माता–पिता ने यदि अन्य किसी आराजी में पट्टा लेने की कोई कार्यवाही की भी हो तो इसे विपक्षिया संख्या 1 के नाम का पट्टा खारिज कराने का आधार नहीं बनाना चाहिये। विधिक रूप से विपक्षी या उसके माता पिता के परिवार की सदस्या नहीं होकर अपने पति के परिवार की सदस्या है। विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– विपक्षिया संख्या 1 ने निगरानीकर्ता के खिलाफ मा.रा.उ.न्यायालय में एक SB Civil Writ Petition No. 1584/2022 पेश की जिसमें दिनांक 03.02.2022 को इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया है कि पट्टाधीन भूमि पर स्थित निर्माण की यथास्थिति कायम रहेगी और विपक्षिया संख्या 1 आगे कोई निर्माण नहीं करेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने पट्टा के सम्बन्ध में निम्न मत व्यक्त किया है:– " upon perusal of the original Patta, this court prima facie finds substance in what has been stated by counsel for the petitioner." यह कि दिनांक 03.02.2022 को उक्त आदेश पारित हुआ और उसके बाद as a counter blast निगरानीकर्ता ने काफी सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से विधिक परामर्श प्राप्त कर के दिनांक 28.03.2022 को विपक्षिया संख्या 1 के विरूद्ध यह निगरानी पेश कर दी जो कि एक पश्चातवर्ती कार्यवाही होकर उत्तीर विचार है। ऐसा कदम उठाकर एक प्रकार से वे माननीय रा.उच्च न्यायालय से मुकाबले पर उतर आये है। स्थगन जारी होने से वैमनस्यता रखकर निगरानी पेश की है। विपक्षिया संख 1 अकेली ऐसी महिला नहीं है कि जिसे आराजी नम्बर 305 या 309 में पट्टा जारी किया गया हो। विपक्षिया संख्या 1 को दिनांक 05.01.2021 को आराजी नम्बर में 60 बाई 45 क्षैत्रफल 2700 वर्गफीट बाबत एक पट्टा नम्बर 4063 जारी किया गया जिसके पडौस उत्तर – श्री अमृतलाल पिता खेमा सालवी का मकान दक्षिण – राणी छाणी मार्ग, पूर्व– आम रास्ता लेम्पस की ओर, पश्चिम सार्वजनिक गली 3 फीट। एक ही परिवार के सदस्यों को अलग–अलग पट्टा जारी करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

में कोई रोक नहीं है। दिनांक 01.07.1998 को श्री मोहनलाल पिता श्री खेमा जी बलाई को आराजी नम्बर 309 में 45 बाई 30 क्षैत्रफल बाबत् एक पट्टा नम्बर 295 और उसी दिन उसके भाई श्री शान्तिलाल पिता श्री खेमा जी बलाई को आराजी नम्बर 309 में 45 बाई 30 क्षैत्रफल 1350 वर्गफीट बाबत् एक पट्टा नम्बर 296 जारी किया गया। पट्टा नम्बर 295 में दर्ज पडौस इस प्रकार है – उत्तर पडत जमीन, दक्षिण – कचरा मेघवाल का बाडा व मकान, पूर्व – पडत जमीन व मगरी की ढाल, पश्चिम– बटला पटेल का खेत। पट्टा नम्बर 296 में दर्ज पडौस उत्तर हीरा मेहतर व रामा मेघवाल का मकान, दक्षिण – रतन बेन का प्लॉट, पूर्व – खेमा का मकान, पश्चिम– पडत जमीन मगरी का दूसरी तरफ ढाल । उक्त पटटो की प्रति संलग्न हैं अतएव विनम्र निवेदन है कि जवाब निगरानी रेकर्ड पर लिया जाकर इसमें वर्णित आधारो पर यह निगरानी मय खर्चा खारिज फरमायी जावे। विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रकरण को स्वीकार कर उक्त पट्टे को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि पुरी तरह द्वेषतावश कार्यवाही की गई है। निर्माण को लेकर विवाद होने से यह कार्यवाही की है। उने उच्च न्यायालय में रीट लगाई एवं स्थगन प्राप्त किया उसके बाद विकास अधिकारी ने यह निगरानी पेश की है। मेने आबादी भूमि में पट्टा प्राप्त किया है। द्वेषतावश की गई कार्यवाही होने से निगरानी खारिज किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रकरण को स्वीकार कर उक्त पट्टे को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, मा. उच्च न्यायालय से स्थगन जारी कराया गया था, उसके बाद विकास अधिकारी द्वारा द्वेषतावश प्रकरण दर्ज किया है। मेरा पट्टा आ.न. 305 मे है। अतः नियमानुसार प्रकिया का पालन कर ग्रा.पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी खारिज किया जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने समर्थन में निम्न नजीर प्रस्तुत की :–

- AIR online 2018 RAj 1417 S.B civil Writ 13015 of 2017 date 20-11-2018

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

- AIR 2009 SC (supp) Civil appeal No. 472 of 2009 date 27-01-2009

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया।निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा.पंचायतीराज अधिनियम 1966 मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा जिला परिषद द्वारा पट्टा निरस्त किया जाने हेतु याचिका प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाना बताया है। जानकारी में आते ही निगरानी प्रस्तुत की गई जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत छाणी का रेकार्ड तलब किया गया। रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी ग्राम छाणी की आराजी संख्या 305/309 में विपक्षी क्रमांक 2 द्वारा विपक्षी क्रमांक 1 के नाम आंवटित भूखण्ड (संकल्प संख्या 11/2021) के आबादी भूमि का विक्रय नामा को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। ग्राम पंचायत छाणी, पंचायत समिति नयागांव द्वारा दिनांक 05.01.2022 को राजस्व ग्राम छाणी की आराजी संख्या 305 में विपक्षी संख्या 1 श्रीमती प्रियंका पिता सोमाराम पारगी निवासी छाणी नयागांव को राशि 27,000/– अक्षरे सत्ताईस हजार रूपया में आबादी भूमि का विक्रयनामा ग्राम पंचायत छाणी विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने पट्टा सख्या 4063 दिनांक 05.01.2021 के अनुसरण में दिनांक 05.01.2021 को निष्पादित किया गया। विपक्षीया द्वारा अपने जवाब के साथ दस्तावेज संलग्न किये जिसमें मूल पट्टा आ.न. 309 में जारी कर कन्फर्मेशन डीड का उप पंजीयक खेरवाडा के कार्यालय में दिनांक 11.05.2021 को कराया गया। दिये गये पट्टे वाली आबादी भूमि आ.न. 305 में अवस्थित होने से ग्राम पंचायत को अपनी चूक का ध्यान आने पर दिनांक 19.08.2021 को शुद्धि पत्र उप पंजीयक कार्यालय खेरवाडा में कराया गया। उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की गई। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में विकास अधिकारी द्वारा एक जांच रिपोर्ट की छांया प्रति पत्रावली में प्रस्तुत की गई है। जिसमें लैम्पस की भूमि पर विपक्षीया द्वारा अवैध निर्माण बाबत् शिकायत प्राप्त होने पर निर्माण की कार्यवाही को रूकवाई गई है। रिपोर्ट के साथ तहसीलदार खेरवाडा द्वारा जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक राजस्व जांच/2023/652 दिनांक 23.07.2021 से उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा को प्रेषित की गई जिसमें सहकारी समिति छाणी का भवन वर्तमान खसरा नम्बर 306 व 309 में आना बताया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति लेम्पस द्वारा प्रस्तुत पट्टे में दर्ज साबिक खसरा नम्बर वर्तमान में बने हुए स्थित भवन से 800 मीटर दूरी पर बताया है। आवंटन पट्टे में दर्ज खसरा नम्बर अनुसार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

अन्यत्र काबिज होना बताया है। उक्त भूमि के बाबत् कोई पट्टा इनके रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया।

सम्पूर्ण प्रकरण के अध्ययन से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि आराजी नम्बर 309 व 305 आबादी भूमि है। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत की पट्टे की पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार पट्टे बाबत पंचायत कोरम बैठक दिनांक 26.10.2021 के द्वारा संकल्प संख्या 5 से रसीद बुक संख्या 1 रसीद संख्या 1 दिनांक 05.01.2021 से 27,000/– रूपये प्राप्त कर सशुल्क 2700 वर्गफीट का भूखण्ड का पट्टा संख्या 4063 आराजी संख्या 309 में आवासीय भूमि का पट्टा जारी कर पट्टा विलेख दिनांक 21.05.2021 को उपपंजीयक खेरवाडा में पंजीकृत कराया गया। उसके पश्चात ग्राम पंचायत को अपनी भूल का ध्यान आने पर विपक्षिया को दिया गया पट्टा आराजी नम्बर 305 में मानते हुए उक्त आराजी का संशोधन बाबत शुद्धि पत्र दिनांक 19.08.2021 को संपादित किया गया। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षिया को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को आराजी नम्बर 305 में पट्टा जारी करने की अधिकारिता थी उसी की हैसियत से ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षिया को पट्टा जारी किया गया है जिसका पंजीयन भी उपपंजीयक खेरवाडा के कार्यालय में करवाया गया। निगरानीकर्ता विकास अधिकारी द्वारा अपनी निगरानी में चाही गई दाद के कॉलम में आराजी नम्बर 305/309 में आंवटित भूखण्ड को निरस्त की जाने की दाद चाही है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा आराजी नम्बर 305/309 में विपक्षी संख्या 1 को किसी प्रकार से कोई पट्टा जारी नही किया जाना पाया है। विपक्षी संख्या 1 को आराजी संख्या 305 में पट्टा जारी किया गया है इस बाबत निगरानीकर्ता की कोई दाद निगरानी में नही चाही गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है। निगरानी कर्ता के अनुसार उक्त भूमि पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का भवन एवं सचिव का क्वार्टर थे जिनको हटाकर विपक्षिया प्रियंका द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसको तहसीलदार खेरवाडा द्वारा रूकवा दिया गया। इस सम्बन्ध में विपक्षिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। जांच रिपोर्ट में ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन एवं सचिव क्वार्टर को गिराकर विपक्षिया द्वारा गलत निर्माण की शिकायत के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट में कहीं पर भी इन विभागों/कार्यालयों द्वारा इनके पक्ष में आराजी नम्बर 305 में जारी पट्टे का हवाला नही दिया गया है जिसमें यह तथ्य स्पष्ट हो सके कि इनके कार्यालय आराजी नम्बर 305 में ही स्थित हो। इस न्यायालय से केवल पट्टे की विधिक अधिकारिता के प्रश्न को ही तय किया जाना है, कब्जे बाबत बिन्दुओं को तय किये जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नही है। कब्जे/निर्माण को लेकर पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में वाद पूर्व से ही विचाराधीन है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय से केवल मात्र पट्टे की अधिकारिता को तय किया जाना है। पट्टाधारी पट्टा प्राप्त कर यदि गलत जगह कब्जा/निर्माण कर लेता है तो उसके लिए पट्टे की विधिक प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, कब्जे का प्रश्न जांच का विषय है जो मौके पर सीमांकन के पश्चात ही हल किया जा सकता है। रहा प्रश्न पट्टे की आड में गलत जगह निर्माण को लेकर उसके लिऐ विभाग द्वारा कार्यवाही कर निर्माण को रूकवा दिया गया है। निगरानीकर्ता पट्टा इसलिए निरस्त कराना चाहता है कि गलत जगह निर्माण कर रहे है यह पट्टे को निरस्त करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत छाणी द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार सशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल होना जाहिर नहीं होता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. नयागांव एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत छाणी को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)